



प्रेस नोट

थाना – हापुड देहात

दिनांक 22.07.2022

हापुड पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना हापुड देहात पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते महिला सम्बन्धी अपराध में एक आरोपी को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 14,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना हापुड देहात पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते थाने के मु0अ0सं0 419/14 धारा 354क,354ख,504 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में एक आरोपी को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 14,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है ।

सिद्धदोष अपराधी का नाम व पता:-

मोहित पुत्र महेन्द्र निवासी असगरपुरा थाना हापुड देहात जनपद हापुड ।